समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें, अन्य किसी अधिकारी के नाम से नही

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि, योगा व ललित कला संकाय ल0वि0वि0।
2. समस्त निदेशक / समन्वयक, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम ल0वि0वि0।
3. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त / सम्बद्ध विद्यालय / महाविद्यालय, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली।

विषय : दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के शिक्षण संस्थानों में वर्तमान सत्र 2023–24 में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश में छात्र / छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति के उपरान्त भुगतान की जाती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / एफिलिएटिंग एजेंसी तथा सहयुक्त शिक्षण संस्थानों में छात्र / छात्राओं के आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को शिक्षण संस्थानों में स्थापित करने में प्रतिछात्र प्रतिवर्ष होने वाले व्यय को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार प्रत्येक परिस्थिति में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

भवदीय,

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्र संख्या SC/ST-17900-02 दिनांक : 22/09/23

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेंटर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली जिलों में सहयुक्त / सम्बद्ध विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को प्रेषित करने के आशय के साथ प्रेषित।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव